

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख याद स०- 127 / 2016-17

याद का प्रकार बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 5(a) के तहत जॉन एवं ज्वरेवाई से संबंधित।

19/11/16

झारखण्ड सरकार के आर्क-2074/र०, दिनांक 13.05.2016 सहपट्टित श्री अनुप मुखंजी निदेशक, मू-अर्जन-तह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र स०-3-खा०म०निति-119/95/2308/र०, दिनांक 03.09.1995 एवं सह-पट्टित राजस्व विभागीय परिपत्र स०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में जिल्ला निदेश के अनुमति में गैरनजरआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों को जॉन प्रारम्भ की गई। जॉन व क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नलिखित दिवसों की भूमि -

मौजा दावरा थाना न० 42 खाना स० 438 ब्लॉक स० 100 रकबा 100 एकड़ भूमि जो गैरनजरआ खास, धनबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी क्रम में जॉन के तहत जमाबंदी रैयत रतु मांझी, मिना रजा मांझी के नाम से कायम है।

नोटिस तमिमा हेतु पत्रा।  
जॉन 24 सप्ट 2016  
26/11/16

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉनपत्रान्त उपर्युक्त दिवसों की भूमि के निरस्त कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉन प्रतिवेदन से प्रकृत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम अदायगी के आदेश के/अर्थात् देवादारों के आधार पर/अर्थात् कोड़कर बन्दीवर्ती के आधार पर/अर्थात् जमान निवारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका तत्पश्चात् निजी जम एवं राज्य को अति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त दिवसों की जमान को जिल्ला जमाबंदी अर्थात् प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 5(a) के तहत जॉन किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त मु-ब्लॉक से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत जमान रसीद को मान कर तथा उक्त कारण पत्रों एवं लि. क्या उक्त जमाबंदी को अर्थात् मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 5(a) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाता।

अभिलेख दिनांक \_\_\_\_\_ को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

19/11/16  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर।

11/8/16

अशिले व उपस्थापित विद्या गण।  
वैद्य के वंशज द्वारा ज्वालापुर के उपस्थापित  
होकर एकलगत २३१६ वर्ष १९९२ का  
व्या. डिक्रिया वन्द्यावली केश (१०६ (मि)  
७०-७१ की घाण प्रो सगपि विद्या गण  
है।

अशिले व अशिले का २३१६ वर्ष  
अशिले व अशिले का २३१६ वर्ष  
का भेदे।

अशिले का २३१६ वर्ष  
अशिले का २३१६ वर्ष  
अशिले का २३१६ वर्ष

आदर प्राप्त लेख संख्या-

177

/2018 (अन्वयित संख्या-44); B.L. Act. 1350

सूचना

बाना

रजतु गौमी, पिपरा गौमी  
काठ जारवा

रजतु द्वारा आपको बुद्धित किया गया है कि जि.तरा भागा नं०- 42  
खाला नं०- 138 खाला नं०- 1000 का प्रथम पुस्तक  
हक नं०- 11 पत्री-11 भाग 11/8/18 का प्रथम पुस्तक  
राजतु द्वारा 11/8/18 ने प्रथम निरीक्षण के माध्यम से गौमी काठ जारवा अतिरिक्त किया है।

अतएव आप उक्त संकेत में दिनांक- 11/8/18 को सहाय-1 200 रुके पूर्वाहल में उक्त  
भूमे का शिल्ल 2, भूमे बंदोबस्ती से सम्बंधित दस्तावेज- पूर्ववर्त जमीनदार द्वारा निर्गत उत्तीर्ण  
रसीद, आम आ एव सरकार में तारीखरी निहित होने के बाद तदनुसार प्राप्त निर्गत राजतु  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य जोर साक्ष्य को मूल अतिरिक्त दस्तावेज वाले के आपक उक्त  
भूमि पर दावों की बुद्धि करता हो के सहाय प्रभावकारी के कार्यालय अकाद में उपरोक्त  
दस्तावेज अपना पत्र प्रस्तुत करें।

समय रहे कि उत्पत्ता कि नियति में तदनुसार दस्तावेज कि प्राप्त करवा में आपका मुक्त  
महो अहम है तथा तदनुसार उक्त दस्तावेज/रसीदों के अभाव में तदनुसार निर्गत का पर्यन्त रूप  
द्वारा जमीनदारी के समय में बुद्धित-दुष्प्रति निर्गत रूप द्वारा निरीक्षण-का प्रस्तुत कर दी जायेगी।  
इत सख्या 11/8/18 जारी।

दिनांक- 11/8/18  
स्थान-

11/8/18  
जमीनदार  
जमीनदार

काली परवा को रेन  
विकास वामिका  
-दीर्घ 24 449 गहरी